अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा आँगनबाड़ी वाद संख्या–56/2014 अम्बिका कुमारी ..... आवेदिका। बनाम राज्य सरकार एवं अन्य .....विपक्षीगण **आदेश**	
26-09-2014	यह वाद इन्दु कुमारी बनाम अम्बिका कुमारी के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन के संदर्भ में ग्राम सहुरिया पश्चिमी थाना सौरबाजार जिला सहरसा के विरुद्ध लाया गया है, जिसमें इस न्यायालय के अपील वाद संख्या– 38/2011 में दिनांक– 16.9.2011को पारित आदेश के संदर्भ में माननीय न्यायालय में दायर सी0डब्लू0 जे0 सी0 संख्या– 18186/2011 अम्बिका कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिनांक– 28.01.2014 को पारित आदेश के अनुसार फिर से सुनने के संदर्भ में लाया गया है। ज्ञातव्य हो कि इस वाद में जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 18.06.2011 को ग्राम पंचायत सहुरिया पश्चिम के आँगनबाड़ी केंन्द्र संख्या –110 के लिए आदेश पारित किया गया, जिसमें दिनांक 21.01.2010 को आम सभा बुलाया गया। जिलाधिकारी, सहरसा के निर्णयानुसार श्रीमती अम्बिका कुमारी को सेविका के पद पर चयन का आदेश किया गया है तथा प्रतिपक्षी इन्दु कुमारी के चयन को रद्द किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निम्न दो बिन्दुओं पर जाँच की अपेक्षा की गयी है :– 1. श्रीमती अम्बिका कुमारी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा 2006 में निर्गत है, इसका विचारण हो। 2. श्रीमती अम्बिका कुमारी का एडमिट कार्ड जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2007 में निर्गत है, उसका छानबीन कर निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। प्रतिपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में बहस के दौरान कहा गया है कि पूर्व से जो सत्यापित प्रतिवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के उप सचिव द्वारा जो	

प्राप्त है वह विश्वसनीय नहीं है। इसके लिए इसे उप सचिव से ऊपर के अधिकारी से जाँच की जरूरत है। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 1402, दिनांक 08.07.2014 तथा स्मार पत्रांक 1187 दिनांक 08.07.2014, अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 349/गो0, दिनांक 30.04.2014 द्वारा सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को एडमिट कार्ड एवं पंजीयण संख्या की जाँच के साथ-साथ जन्म तिथि के सत्यापन का अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक बी0पी0 3706, दिनांक 19.09.2014 द्वारा यह सूचना दी गयी है कि आवेदिका सुश्री अम्बिका कुमारी, माता-अनिता देवी, पिता-सुरेश यादव का पंजीयन संख्या-0411-05-08577/2006, वर्ष-2006 का है। तद्नुसार इनके जन्म तिथि 04.02.1991 दर्ज है। इसी प्रकार इनका अंक नियोजन पंजी के विवरण में दिया गया है कि इसका संशोधित जन्म तिथि भी 04. 02.1991 है। इस संदर्भ में उप सचिव, निगरानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व निर्गत पत्रांक 3399 दिनांक 01.09.2010 एवं पत्रांक 1706 दिनांक- 24.05.2010 की भी सम्पुष्टि की गयी है, जिसके अनुसार श्रीमति अम्बिका कुमारी का जन्म तिथि 04. 02.1991है तथा प्राप्तांक 216 है। इन दोनों प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनका चयन के पूर्व जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 2006 है एवं एडमिट कार्ड 2007 में निर्गत है उस पर इनका जन्म तिथि 4.02.1991 है जबकि इसका चयन आम सभा में दिनांक 21.01.2010 को कम उम्र (जन्मतिथि 04.02.1993) के कारण अयोग्य माना गया था। चुँकि चयन वर्ष के करीब 3-4 वर्ष पूर्व ही रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं एडमिड कार्ड निर्गत है जिस में अंकित जन्म तिथि 04.02.1991 विश्वसनीय है। अतः उक्त आलोक में इनके जन्म तिथि सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सम्पुष्ट किया जाता है, साथ ही मेधा सूची में भी श्रीमती इन्दु कुमारी से इनका अंक ज्यादा है, क्योंकि ये इन्टर मीडियेट परीक्षा भी पास किये हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ इन्दु कुमारी का मेधा अंक 44.14 है तथा अम्बिका कुमारी का मेधा अंक 48. 02 है।

वर्णित स्थिति में श्रीमती अम्बिका कुमारी सेविका के पद पर चयन योग्य है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश विश्वसनीय एवं लागू करने योग्य है। उक्त आदेश का कार्यान्वयन बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, सौरबाजार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा को लागू करने हेतु भेजा जाय। तद्नुसार इस आलोक में अभ्यावेदन का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

26.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा